

2019 की सोलर नीति के अनुसार ही व्यवसायियों को इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में राहत दें : हाईकोर्ट

अदालत ने राज्य सरकार तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि व्यवसायियों ने 2019 की नीति के तहत ही छूटों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिये निवेश किया था

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने इमारतों की छत पर (रूफ टॉप) सोलर पैनल लगाकर व्यवसायिक उपयोग के लिये बिजली उत्पादन करने से जुड़ी कंपनी इमामी एग्रीटेक लिमिटेड को राहत देते हुए आदेश दिये हैं कि राज्य सरकार अपनी 2019 की सोलर नीति के अनुसार इस कंपनी से बिजली उत्पादन के लिये इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी ना वसूलें और ना ही कोई अवपीडक कार्यवाही ना करें।

मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायाधीश एम.एन. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश 20 अक्टूबर को दिये थे जिसकी आदेश की प्रतिलिपि अभी हाल ही में प्राप्त हुई है।

इस मामले में याचिकाकर्ता इमामी एग्रीटेक लिमिटेड की ओर से

■ **जैसा कि विदित है कि इस नीति के तहत व्यवसायियों को सात साल तक इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी देने से राहत दी गई थी परंतु राज्य सरकार अपनी ही नीति के विरुद्ध जाते हुए व्यवसायियों से ड्यूटी वसूल रही थी और इसके एवज में बिल भी जारी कर रही थी**

■ **हाईकोर्ट ने ड्यूटी वसूल जाने पर अंतरिम रोक लगाई है और कंपनियों के खिलाफ कोई भी उत्पीड़क कार्यवाही करने पर भी रोक लगाई**

एडवोकेट अनंत कासलीवाल और उनके सहायक वकील वैभव कासलीवाल और शशांक कासलीवाल पेश हुए थे।

उल्लेखनीय है कि 2019 में राज्य सरकार ने अपनी सोलर एनर्जी पॉलिसी जारी की थी जिसकी धारा 16.4 के

तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनियों पर आने वाले सात वर्ष तक राजस्थान सरकार और जयपुर विद्युत वितरण निगम इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगाएंगे। परंतु अपनी ही नीति के विरुद्ध जयपुर विद्युत वितरण निगम कई बिजली उत्पादकों से इलैक्ट्रिसिटी

ड्यूटी वसूल रही थी और बिल भी जारी कर रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने छत पर सोलर प्लांट के नये प्रोजेक्ट के लिये यह छूट हटा दी है।

परंतु हाईकोर्ट के समक्ष ऐसे कई मामले दायर किये गये जिनमें कंपनियों ने 2019 की नीति के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाये थे। इन याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार नये आने वाले प्रोजेक्टों के लिये तो छूट हटा सकती है पर जो 2019 की नीति के तहत ये लगाये गये हैं उन पर यह छूट लागू रहेगी। ऐसा ही एक याचिका एपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी जिसमें सीनियर अधिवक्ता संदीप जौहरी और उनके सहायक अधिवक्ता शुभंकर जौहरी

पैरवी के लिये पेश हुए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा था कि राज्य सरकार अपनी ही नीति के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती और इन कंपनियों से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं वसूल सकती। राजस्थान सोलर एसोसियेशन ने भी इस वर्ष हाईकोर्ट के समक्ष सरकार की 2019 की नीति के विरुद्ध इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल जाने के कई मामले दर्ज किये गये थे। जिनमें हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी।

हाईकोर्ट ने एपीएम इंडस्ट्रीज राहत देते हुए उन पर लगाई जा रही ड्यूटी पर अंतरिम रोक लगाई थी। इन मामलों की तर्ज पर हाईकोर्ट ने इमामी एग्रीटेक को भी राहत दी है और उन पर लगाई जा रही ड्यूटी पर भी अंतरिम रोक लगाई जा रही है।



पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लाहौल स्पीति में कांग्रेस उम्मीदवार रवि ठाकुर के समर्थन में प्रचार किया।



मंगलवार को चन्द्रग्रहण के तुरंत बाद ही राजधानी जयपुर में तीव्र हवाओं के साथ बारिश होने लगी जो देर रात तक रूक-रूक कर चलती रही। इससे शहर में सर्दी बढ़ने से लोग गर्म कपड़े पहने नजर आये।

स्वरोजगार से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा : कश्मीरी लाल

जयपुर। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने और स्वरोजगार से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कश्मीरी लाल स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत बैठक को राजापाक स्थित आदर्श विद्या मंदिर में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग व युवाओं के स्वरोजगार के प्रति जागृत होने से देश भर में एक सकारात्मक माहौल बना है। संघ की प्रेरणा से चल रहे स्वदेशी स्वावलंबन अभियान से देश के युवाओं में एक नई चेतना जागृत हुई है। उसी का परिणाम है कि अब युवा सरकारी नौकरी के बजाय स्वयं का रोजगार शुरू कर लोगों को नए रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।

उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि देश में आज स्वदेशी, स्वरोजगार व स्वावलंबन का भाव उत्पन्न हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉ. शैलेंद्र ने कहा कि आज स्वदेशी का स्ववलंबन अभियान पूरे देश में जोर पकड़ रहा है और अब लोग वस्तुओं को खरीदने से पहले स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं

■ **स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत बैठक एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह**

का आंकलन करने लगे हैं। मंच के प्रांत संयोजक देवेंद्र भारद्वाज ने प्रांत कार्यकारिणी में राजेश शर्मा को कोष प्रमुख एवं धर्मेन्द्र शर्मा को सह संयोजक के पद पर नियुक्त किया साथ ही स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्य कर रहे युवा उद्यमियों को मंच पर बुलाकर स्वदेशी का दुपट्टा देकर सम्मानित कराया और उनके स्टार्टअप को राष्ट्र की उन्नति में अधिक भागीदारी निभाने की शुभकामनाएं देकर उनका उत्साहवर्धन किया। महिला कार्य धर्मानंदा है, राज्य में लव जेहाद और लैण्ड जेहाद की घटनाएं होती रही हैं, आवाज उठाने पर धर्मानंदा थोड़े दिन के लिये रुका था, लेकिन अब फिर से हो रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार सोती रही, कमजोर लोगों को सुनियोजित तरीके से टागेट किया जाता है, धर्मांतरण के मामलों में भोले, आर्थिक कमजोर और निर्बल लोगों को टागेट कर रहे हैं।

कि स्वदेशी को लेकर देशभर में एक सकारात्मक व अनुकूल माहौल का निर्माण हुआ है। प्रांत प्रचार प्रमुख डा. धर्मवीर चंदेल ने बताया कि इस अवसर पर प्रांत संगठक मनोहर शरण का स्थानांतरण गुजरात होने पर उन्हें सभी कार्यकर्ताओं ने भावभीनी विदाई दी।

धर्मांतरण का राज्य सरकार को संरक्षण : डॉ. पूनिया

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर में धर्मांतरण के मामले पर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान कितना असुरक्षित है, इसका नमूना धर्मान्तरण है, राज्य में लव जेहाद और लैण्ड जेहाद की घटनाएं होती रही हैं, आवाज उठाने पर धर्मान्तरण थोड़े दिन के लिये रुका था, लेकिन अब फिर से हो रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार सोती रही, कमजोर लोगों को सुनियोजित तरीके से टागेट किया जाता है, धर्मांतरण के मामलों में भोले, आर्थिक कमजोर और निर्बल लोगों को टागेट कर रहे हैं।


मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मंत्री भी हैं और उनकी नाक के नीचे यह हो रहा। इससे भी बड़ी चौकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे यह इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्मांतरण को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, कांग्रेस की तुष्टिधारी और वोट बैंक की स्थिरता के तार भी इससे जुड़े हो सकते हैं, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो।

मकानों-गाड़ियों पर पथराव करने वाले बदमाशों को ढूंढ रही पुलिस

जयपुर (का.सं.)। राजधानी के चित्रकूट इलाके में सोमवार रात बदमाशों ने गाड़ियों और मकान पर पथराव कर दिया। बदमाशों ने एक के बाद एक कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

एसीपी (वैशाली नगर) आलोक कुमार सेनी ने बताया कि डीसीएम स्थित विद्युत नगर ए में सोमवार रात गाड़ियों में तोड़फोड़ की वारदात हुई है। दर्जन भर से अधिक बदमाश अलग-अलग बाइकों पर लाठी-डंडे लिए कॉलोनी में घुसे। बदमाशों ने तलजरी कार और पास ही स्थित एक मकान पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने जिस मकान में धावा बोला, उसमें कुछ छात्र रहते हैं, लेकिन वारदात के समय वे वहां नहीं थे। फिलहाल पुलिस वीडियो और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।

गुरु नानक देव ने सम्पूर्ण मानवता को भाईचारे का संदेश दिया : राज्यपाल



गुरु नानक जयन्ती के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजा पार्क गुरुद्वारे में आयोजित विशेष कीर्तन में भाग लिया।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व गुरु नानक जयन्ती के अवसर पर मंगलवार को राजा पार्क गुरुद्वारे में विशेष कीर्तन दिवान आयोजन में भाग लिया। राज्यपाल ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने सामाजिक कुतियों,

अंधविश्वास और छुआछूत को दूर करने के लिए कार्य किया। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए पूरे देश में घूम-घूम कर भाईचारे एवं प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया। हमें उनके संदेशों के अनुसरण अपना आचरण एवं व्यवहार को ढालते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।

बम ब्लास्ट मामले में सुनवाई पूरी

जयपुर। शहर में 13 मई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में चार अभियुक्तों को मिली फांसी की सजा को लेकर हाईकोर्ट में राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस और अभियुक्तों की ओर से पेश कुल 28 अपीलें पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने को कहा है। लिखित बहस के बाद कोर्ट अपना आदेश सुनाएगी। जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की है।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत

जयपुर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ब्राह्मण समाज राजस्थान ने स्वागत किया है। प्रदेशाध्यक्ष अंबिका प्रकाश पाठक ने इस निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने केन्द्र की मोदी सरकार के उस फैसले पर मोहर लगा दी है जिसके तहत केन्द्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिया था। इस निर्णय के खिलाफ कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की लेकिन जॉट आखिरकार सत्य की हुई और गरीब व कमजोर वर्ग को भी संवल मिला है। इस आरक्षण पाने के लिये लगभग दो दशकों तक संघर्ष किया और केन्द्र सरकार ने आरक्षण से वंचित वर्गों जातियों को भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण दिया।

प्रदेश में 31 नए कोरोना संक्रमित मिले मंगलवार को

जोधपुर में सर्वाधिक 6 नए मरीज सामने आए हैं

■ **कार्यालय संवाददाता-** जयपुर। प्रदेश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर वृद्धि हुई है। इस दौरान मंगलवार को 31 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 18 रोगियों के ठीक होने से एक्टिव केस बढ़कर 343 हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में पिछले सात दिनों से करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 10 जिलों में 31 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले सोमवार को 23 रोगी पाए गए थे। इधर आज सबसे ज्यादा

■ **राज्य में फिर रिकवरी में कमी आने से एक्टिव केस बढ़कर 343 हो गए हैं।**

6 नए संक्रमित जोधपुर में सामने आए हैं। इसके अलावा पाली में 5, जयपुर व अलवर में 4-4, बीकानेर व सीकर में 3-3, प्रतापगढ़ और अजमेर में 2-2 तथा भरतपुर और सर्वाइ माधोपुर में एक-एक नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 5708 जांचे की गईं।

प्रदेश में मंगलवार को केवल 18 ही संक्रमित ठीक हुए हैं। इसके साथ ही फिर एक्टिव केस बढ़कर 343 हो गए हैं। राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में कोई भी मरीज रिकवरी नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 106 हो गए हैं। प्रदेश में मंगलवार को भी करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9646 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को गोपालपुर, कोटपुतली, मालवीय नगर और मानसरोवर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

कॉलेज शिक्षा आयुक्त बताए क्यों नहीं की आदेश की पालना?

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी कॉलेज को सत्र 2020-21 की स्थाई एनओसी जारी करने के अदालती आदेश के बावजूद एनओसी जारी नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कॉलेज शिक्षा आयुक्त को 28 नवंबर को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत ने कहा कि यदि आदेश की पालना हो जाती है तो कॉलेज आयुक्त को पेश होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश जामिया मद्रसा एजुकेशन सोसायटी की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता आत्माराम मीणा ने

■ **हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निजी कॉलेज को स्थाई एनओसी जारी नहीं करने पर नाराजगी जताई**

अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कॉलेज शिक्षा विभाग में वर्ष-2020-21 की स्थाई एनओसी के लिए आवेदन किया था। विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। जिस पर गत वर्ष 2 दिसंबर को सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग को आदेश दिए

थे कि वह याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए एक माह में एनओसी जारी करे। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के करीब 11 माह बीतने के बाद भी विभाग ने अब तक एनओसी जारी नहीं की है।

ऐसे में अदालती आदेश की पालना कराई जाए और अवमानना कर्ता अफसरों को दंडित किया जाए। वहीं याचिका में जवाब पेश करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दो सप्ताह का समय मांगा। इस पर अदालत ने 28 नवंबर तक आदेश की पालना नहीं होने पर कॉलेज शिक्षा आयुक्त को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

मुख्य सचिव सहित अन्य टैंकर की टक्कर से को अवमानना नोटिस बाइक सवार की मौत

■ **शिक्षक की लंबित विभागीय जांच के संबंध में दिये आदेश की पालना नहीं करने पर जवाब मांगा**

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक की लंबित विभागीय जांच के संबंध में दिए आदेश की पालना नहीं करने पर मुख्य सचिव, शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षाधिकारी सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश ममता की अवमानना याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि

हाईकोर्ट ने गत नौ मार्च को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित विभागीय जांच को छह माह में निस्तारित किया जाए। इसके बावजूद विभाग ने याचिकाकर्ता के खिलाफ संशोधित आरोप पत्र पुनः जारी कर दिया और विभागीय कार्रवाई जारी कर रखी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता को विभागीय अधिकारी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में याचिकाकर्ता को विभागीय जांच को निस्तारित किया जाए और अदालत अवमाननाकर्ता अफसरों पर कार्रवाई करे। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

जयपुर (का.सं.)। रामनगरिया इलाके में सोमवार देर रात एक पानी के टैंकर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं, मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर टैंकर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया घटना अक्षयपात्र मंदिर के पास की सोमवार रात करीब 9:30 बजे की है। यहां एक टैंकर चालक ने लापरवाही पूर्वक सामने से आ रहे बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक टैंकर लेकर फरार हो गया। मृतक की शिनाख्त

■ **रामनगरिया इलाके में अक्षयपात्र मंदिर के पास सोमवार देर रात हुआ हादसा**

मीठालाल मीणा (25) पुत्र नैरुम निवासी चंदवाडा की ढाणी थाना लवाण जिला दोसा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया मृतक मीठालाल मीणा इलाके स्थित एक वर्कशॉप पर बाइक रिपेयरिंग का काम करता था। वह रिपेयरिंग के लिए आई बाइक को सोमवार रात अक्षयपात्र मंदिर के पास चेक कर रहा था। इस दौरान टैंकर ने उसे कुचल दिया। पुलिस ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जबकि टैंकर चालक की तलाश शुरू की है।

स्कूल बस से फिसलकर सड़क पर गिरे छात्र की दर्दनाक मौत

जयपुर (का.सं.)। मुहाना इलाके में एक नौवीं कक्षा के छात्र को उसी के स्कूल की बस ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर खून बिखर गया। सूचना पर मौके पर पहुंची ने मृतक छात्र के शव को जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बुधवार सुबह शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थानाधिकारी लखन सिंह खटाना ने बताया घटना डिग्गी रोड स्थित रिंग रोड के पास स्थित लाइन मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जहां स्कूल बस से एक छात्र अचानक नीचे गिर गया। सिर में गंभीर छोटे लगने से

■ **मुहाना इलाके में डिग्गी रोड पर रिंग रोड के नजदीक हुआ हादसा**

उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त मनीष शर्मा (15) पुत्र मुकेश कुमार शर्मा निवासी बड़ वाली ढाणी, मुहाना के रूप में हुई है। दरअसल, मनीष प्रताप पब्लिक स्कूल, बालावाला में नौवीं कक्षा का छात्र है। यह स्कूल के परिवार का ही है। वह रोजाना की तरह स्कूल से छुट्टी होने के बाद बस में बैठ कर घर आ रहा था। इस दौरान वह घर नजदीक आते समय बस के गेट पर आकर खड़ा

हो गया। जैसे ही बस डिग्गी रोड रिंग रोड के पास स्थित लाइन पर चढ़ी तो मनीष बस से नीचे जा गिरा। वह सिर के बल गिरा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया मुकेश शर्मा के दो बेटों में मनीष छोटा था, इससे बड़ा राहुल है। हादसा घटित करने वाली बस भी इनके परिवार की ही बताई जा रही है। फिलहाल घटना को लेकर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वहीं मृतक के शव को जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां बुधवार को उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि, पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।

सड़क हादसे में युवक की मौत

जयपुर। मुरलीपुरा इलाके में एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार नानू नगर, मुरलीपुरा निवासी विश्वजीत 6 नवंबर की रात करीब 12 बजे बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान नाड़ी के फाटक के पास एक लॉडिंग ट्रैक में उसकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में विश्वजीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया, जबकि मृतक के पिता सतेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। उधर हरमाड़ा इलाके में सोमवार सुबह 14 नंबर रोड स्थित चौकीटी पर एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने मृतक का शव सर्वाइ मान सिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।